न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-348RAAJodhpur2022-128RTA223 Bhanawarsingh ors Vs Dudaram etc

01. भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
02. महावीरसिंह पुत्र रामसिंह
03. मदनसिंह पुत्र रामसिंह
04. गंगासिंह पुत्र रामसिंह
05. शेरसिंह पुत्र धन्नेसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. दुदाराम पुत्र पेमाराम
2. सुगनाराम पुत्र पेमाराम
3. ताजूराम पुत्र पेमाराम

   जातियान् कुम्हार, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
4. जसाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकामः -
   4.1. पप्पुराम पुत्र स्व. जसाराम
   4.2. जगदीश पुत्र स्व. जसाराम
   4.3. कोजाराम पुत्र स्व. जसाराम
   4.4. श्रीमती कसुम्बी बेवा स्व. जसाराम

   जातियान् कुम्हार, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
5. जितेन्द्र सिंह पुत्र शैतानसिंह
6. रणजीतसिंह पुत्र पन्नेसिंह
7. आजादसिंह पुत्र कुशालसिंह के कायम मुकामः -
   7.1. अजीतसिंह पुत्र स्व. आजादसिंह
   7.2. उदयसिंह पुत्र स्व.आजादसिंह
   7.3. अंजु कंवर पुत्री स्व. आजादसिंह
   7.4. मीनु कंवर पुत्री स्व. आजादसिंह

   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- 4223, मेहता मार्ग, गलता रोड़, जयपुर-301003, मो. न. 9916545713।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8. लाडू कंवर पुत्री मालमसिंह
9. सागर कंवर पत्नी भोमसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
10. जयनारायण पुत्र भंवरलाल, जाति माली, निवासी- मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
11. नारायणराम पुत्र पनाराम
12. हड़मानराम पुत्र पीराराम
13. नारायणराम पुत्र दुर्गाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
14. ईसुराम पुत्र पेमाराम जाति जाट, निवासी- खटोड़ा, तहसील व जिला नागौर।
15. ओमप्रकाश पुत्र केसूराम जाति सोनार, निवासी- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
16. ओमप्रकाश पुत्र पुनमचन्द, जाति महाजन, निवासी- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
17. जाकीर हुसैन पुत्र मकसुदशाह, जाति मुसलमान, निवासी- रे.पी.डी. 07, तहसील घड़साना, जिला गंगानगर।
18. भेराराम पुत्र नथाराम
19. भीयाराम पुत्र नथाराम
20. भूराराम पुत्र नथाराम
21. भोमाराम पुत्र पुरखाराम
    जातियान् कुमार, निवासीगण- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
22. मोहनराम पुत्र झुमरराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम खटोड़ा, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
23. इन्द्रा पत्नी अनोपाराम, जाति ब्राहमण, निवासी- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
24. प्रेमराज पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण, निवासी- ग्राम जाखण, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 976/2020 दुदाराम व अन्य बनाम जसाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व 16
श्री मोइनुदीन मेहर, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 11 से 13 व 24
श्री करणसिंह अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5, 8 व 9
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 25

नि र्ण य

दिनांक : 06 फरवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 976/2020 दुदाराम व अन्य बनाम जसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1032 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा ग्राम जाखण तहसील बापिणी के संबंध में अपीलांट्स व अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 से 19 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 09 जुलाई 2021 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण के रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट!स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाये जाने का निर्णय पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 नवंबर 2021 के जरिये वादीगण/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य प्रत्यर्थीगण की तामील करवाये बिना ही एकतरफा कार्यवाही भी अमल में लाये बिना ही निर्णय पारित किया है जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अपना वाद साबित ही नहीं किया गया है न ही वाद में विवाद बिंदु कायम किया गया है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जबकि विवादित बिंदु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व वादीगण के मध्य बंटवाड़ा को लेकर विवाद है तथा हिस्सो को लेकर भी विवाद है, इसलिए बंटवाड़ा का वाद चलने योग्य नही रह जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है तथा न ही पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है।, इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है, जिस कारण भी निर्णय एवं अंतिम डिक्री अपास्त योग्य है। प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री की पालना में अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थीगण दोनो डिक्रीयों से व्यथित होने के कारण अपील संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी संयुक्त रूप से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की बिना तामील के ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थीगण ने मौके पर आकर धमकी दी तथा उसके द्वारा सड़क वाले हिस्से पर बंटवाड़ा करवा लिया है, जिस पर नकल हेतु आवेदन किया, जो नकल तैयार होकर दिनांक 29.07.2022 को मिली, जिसे पढकर सुनाये जाने से अपीलार्थीगण को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्यार प्रस्तुत की गई। उक्त देरी का उचित व माकूल कारण रहा है, जिसे माफ किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 जुलाई 2021 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 नवंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे तथा मामले को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार वाद को निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने मामले में विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तलब कर पुनः अंतिम डिक्री जारी किये जाने में सहमति प्रदान करते हुए मामला प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों के खण्डन हेतु काउंटर शपथ-पत्र पेश नहीं किया गया तथा अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष द्वारा सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से दिनांक 09 जुलाई 2021 को जमाबंदी मे दर्ज हक-हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री से पक्षकारान् के हिस्से प्रभावित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.11.2021 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की की पालना में तहसीलदार बापिणी द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर तथा अपीलांट्स अनुपस्थिति में भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का जाखण द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। जिसकी ताईद बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के पश्चात भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार बापिणी को प्रेषित पत्र से होती है। तहसीलदार बापिणी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक 124/25.11.2021 के जरिये विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 976/2020 दुदाराम व अन्य बनाम जसाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09 जुलाई 2021 को यथावत रखा जाता है तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 नवंबर 2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की पालना में तहसीलदार बापिणी स्वयं द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति में बाई मिट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एंण्ड बाउण्ड्स तलब कर, उस पर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अंतिम निर्णय डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.02.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर